राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1105/2011

मदन लाल वर्मा पुत्र नारायण लाल वर्मा, उम्र 43 वर्ष, निवासी गणेश चौक वल्लभ नगर उदासीन आशाराम के पास, जिला उदयपुर, राजस्थान

----अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-II), उदयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : डॉ. निखिल डुंगावत

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री सरवन कुमार - एजीसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>01/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता, अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 02.11.2010 के अपीलीय आदेश (अनुलग्नक-12) से व्यथित है, जिसके तहत संचयी प्रभाव के बिना तीन वर्ष की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने की सजा को बरकरार रखा गया था, इस न्यायालय के समक्ष है।

2. रिट याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता (एक शिक्षक) को 21.11.2002 को आरोप-पत्र का ज्ञापन दिया गया था। लगाए गए आरोप थे कि एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, याचिकाकर्ता ने किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना आधे दिन की छुट्टी ले ली। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता 26.09.2002 को एक अन्य व्यक्ति के साथ श्रीमती रेखा नामक एक छात्रा के घर गया था। याचिकाकर्ता आधे घंटे तक लोगों के समूह के साथ वहां रहा। वह फिर से स्कूल गया और शारीरिक

शिक्षक मोहन लाल जाट पर कुछ आरोप लगाए। मोहन लाल जाट को याचिकाकर्ता द्वारा जबरदस्ती स्कूल से बाहर निकाला गया और उसके चेहरे पर कालिख पोत दी गई। 28.09.2002 को श्रीमती रेखा की मां स्कूल आईं और आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. याचिकाकर्ता ने 04.12.2002 को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा 26.09.2002 को घटित घटना को स्पष्ट किया तथा स्वयं को निर्दोष बताया। यहां तक कि ग्रामीणों, सरपंच, वार्डपंच तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भी याचिकाकर्ता के पक्ष में अपना समर्थन रखा।

4. जांच की गई। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी ने 22.01.2003 को कार्यालय आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को कदाचार तथा 26.09.2002 को घटित घटना के लिए दोषी ठहराया गया। याचिकाकर्ता को बिना संचयी प्रभाव के तीन वर्ष की वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई।

5. व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने नियम 1958 के नियम 23 के तहत विभागीय अपील की। अपील में कहा गया कि आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मोहन लाल जाट का न केवल रेखा, बल्कि मंजू के साथ भी अवैध संबंध था।

6. अपीलीय प्राधिकारी ने सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद 02.11.2010 को अपील खारिज कर दी। इसलिए यह तत्काल याचिका।

7. प्रतिवादियों की ओर से जवाब में यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा शारीरिक शिक्षक मोहन लाल जाट के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी। उसे दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वितीय, उदयपुर द्वारा बिना संचयी प्रभाव के तीन वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया जाना उचित है।

8. उत्तर में यह दलील दी गई है कि दिनांक 22.01.2003 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील में दिनांक 02.11.2010 का आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया था। इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दंड का आदेश और याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करने का आदेश न्यायसंगत और उचित है।

9. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है और अब मैं आगामी भाग में कारणों को दर्ज करके अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

10. मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि अपीलीय अधिकारी राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 30(2) से बंधा हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, अपीलीय आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलीय अधिकारी ने उक्त नियम 30 की प्रक्रिया और अधिदेश का पालन नहीं किया है, जिसके तहत अपील दायर की गई थी। उक्त नियम 30(2) अपने आप में लगभग एक स्व-निहित संहिता है और इसे त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"नियम 30

(1) X-x-x-x

(2) नियम 14 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने वाले आदेश के खिलाफ अपील के मामले में अपीलीय प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा:-

(ए) क्या इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं, तो क्या इस तरह के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या न्याय में विफलता हुई है।

(बी) क्या जिन तथ्यों पर आदेश पारित किया गया था, वे साबित हो चुके हैं।

(सी) क्या स्थापित तथ्य आदेश देने के लिए पर्याप्त औचित्य प्रदान करते हैं; और

(डी) क्या लगाया गया जुर्माना अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है (और सरकारी कर्मचारी को अपना मामला समझाने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई करने के बाद, यदि ऐसा करना चाहता है) और आयोग के परामर्श के बाद यदि मामले में ऐसा परामर्श आवश्यक है, तो आदेश पारित करें-

(i) दंड को अलग करना, कम करना, पुष्टि करना या बढ़ाना।

(ii) मामले को उस प्राधिकारी को भेजना जिसने दंड लगाया था; या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देश के साथ जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।"

उपर्युक्त नियम में यह परिकल्पना की गई है कि इसमें निहित कारकों पर विचार करने के बाद ही अपीलीय प्राधिकारी दंड को अपास्त करने, कम करने, पुष्टि करने या बढ़ाने सहित उचित आदेश पारित कर सकता है। इसमें अनिवार्य मानदंड अपीलीय प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी हैं ताकि दंड के खिलाफ अपील के लिए प्रक्रियागत अनुपालन, तथ्यात्मक सटीकता, दंड के लिए औचित्य और दंड की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए एक गहन और निष्पक्ष समीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। हालाँकि, ऐसा लगता है कि इस सब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके बारे में बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी, क्योंकि यह आगे की चर्चा में सामने आएगा।

11. अपीलीय प्राधिकरण ने अपील पर निर्णय लेने में सात वर्ष से अधिक समय लगा दिया, फिर भी इतने लंबे समय के बाद भी यह स्पष्ट है कि निर्णय में सावधानीपूर्वक विचार नहीं किया गया। मदन लाल वर्मा यानी याचिकाकर्ता द्वारा अपील दायर किए जाने के बावजूद, अपीलीय न्यायालय के आदेश में उन्हें मोहन लाल यानी एक अन्य सह-कर्मचारी के रूप में संदर्भित किया गया है। याचिकाकर्ता के मामले में उचित रूप से शामिल न होने से निर्णय असंतुलित और मनमाना हो जाता है। यह साबित होता है कि 22.01.2003 और 02.11.2010 के आक्षेपित आदेशों में कई तथ्यात्मक भ्रांतियां हैं। न केवल याचिकाकर्ता को कई मामलों में मोहन लाल के रूप में संदर्भित किया गया था, बल्कि केवल मोहन लाल जाट के तर्कों पर भी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था।

12. अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को स्पष्ट या तर्कपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह याचिकाकर्ता के मामले की योग्यता या उसके समक्ष प्रस्तुत आधारों को संबोधित नहीं करता है। एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए, एक वैधानिक अपीलीय प्राधिकरण अनुशासनात्मक अधिकारियों के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील में उठाए गए कानूनी बिंदुओं और तथ्यात्मक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श करने के लिए बाध्य है। इसलिए, यह जरूरी है कि ऐसे मामलों में एक व्यापक और विस्तृत स्पष्टीकरण या "सकारण आदेश" प्रदान किया जाए। बेशक, उनसे न्यायिक अधिकारियों की तरह निर्णय देने की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन उन पर लागू वैधानिक मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

13. इसके अलावा, भले ही विभागीय कार्यवाही में आपराधिक मामले में बरी होना स्वतः बाध्यकारी न हो, लेकिन फिर भी यह पता लगाने के लिए इस पर गौर किया जा सकता है कि क्या इसका कोई प्रेरक मूल्य है। अपीलीय प्राधिकारी ने

अपील पर निर्णय लेते समय और याचिकाकर्ता को कदाचार का दोषी ठहराते समय यह भी नहीं सोचा कि याचिकाकर्ता को आपराधिक अदालत ने बरी कर दिया था, जिसने यह माना/निर्धारित किया था कि वह दिनांक 26.09.2002 की घटना में शामिल नहीं था। हालाँकि याचिकाकर्ता को एक सहकर्मी के साथ कदाचार का दोषी पाया गया था, लेकिन उसे बरी कर दिया गया।

14. साथ ही, मेरा यह भी मानना है कि बिना किसी कारण के सात वर्षों तक सेवा अपील को रोकना, केवल देरी के आधार पर न्याय से इनकार करने के समान है।

15. पिछले पैराग्राफ में की गई मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 21.22.2002 (अनुलग्नक-1), 22.01.2003 (अनुलग्नक-05) और 02.11.2010 (अनुलग्नक-11) के आक्षेपित आदेशों को आगामी परिणामों के साथ अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की नियुक्ति की तिथि से 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान का लाभ प्रदान करें, साथ ही आकस्मिक वेतन वृद्धि और अन्य सभी परिणामी लाभ भी प्रदान करें। गणना याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ संपर्क करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर की जानी चाहिए और वह लागू सेवा नियमों के अनुसार स्वीकार्य ब्याज का भी हकदार होगा।

16. लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।